

<b>“आ.क.वि.- 1 सहज</b>	<b>भारतीय आयकर विवरणी</b> [किसी व्यक्ति निवासी के लिए (जो कि सामान्यतः निवासी के अतिरिक्त नहीं हो) जिसकी कुल आय 50 लाख रु. तक हो, वेतन से आय हो, एक आवासीय संपत्ति, अन्य स्रोत (व्याज आदि) तथा कृषि आय 5000 रु. तक हो।] [किसी व्यक्ति के लिए नहीं जो या कंपनी में निवेशक हो और धारा 194 ब के अधीन टी.डी.एस काटा गया हो या अमूचीबद्ध इन्फ्लेक्शन से निवेश किया हो, यदि इससेओपी में आयकर भिन्न है। ] (पात्रता के लिए अनुदेश देखें)	<b>निर्धारण वर्ष</b> <b>2 0 2 2 - 2 3</b>

भाग क - साधारण जानकारी												
(क1) स्थायी लेखा संख्या	(क2) प्रथम नाम	(क4) जन्म की तारीख							(क5) आधार संख्यांक (12 अंक) / आधार नामांकन आई.डी (28 अंक) (यदि आधार के लिए पात्र हो)			
		(क3) अंतिम नाम	दि	दि	मा	मा	व	व	व	व		
(क6) मोबाइल नं०	(क7) ई-मेलपता							पता: (क8) फ्लैट/द्वार/ब्लॉक सं. (क9) परिसर/भवन/ग्राममार्ग (क10) गली/डाकघर क्षेत्र/अवस्थान (क11) नगर/शहर/जिला (क12) राज्य (क13) देश (क14) पिनकोड				
(क15) धारा के अधीन फाइल (चिह्न लगाएं) /कृपया अनुदेश देखें	(क15) 139(1)- नियत तारीख को या इससे पूर्व, <input type="checkbox"/> 139(4)- विलंबित, <input type="checkbox"/> 139(5)- पुनरीक्षित, <input type="checkbox"/> 119(2)(ख)- विलंब को माफ करने के पश्चात्							(क16) रोजगार की प्रकृति- <input type="checkbox"/> केंद्रीय सरकार <input type="checkbox"/> राज्य सरकार <input type="checkbox"/> सार्वजनिक सेक्टर उपक्रम <input type="checkbox"/> पेंशनभोगी- सी.जी <input type="checkbox"/> पेंशनभोगी- एस.जी <input type="checkbox"/> पेंशनभोगी- सा.क्षे.उ. <input type="checkbox"/> पेंशनभोगी- अन्य <input type="checkbox"/> अन्य <input type="checkbox"/> लागू नहीं (पारिवारिक पेंशन आदि)				
(क17) या धारा .... के अधीन सूचना के प्रत्युत्तर में फाइल किया गया	<input type="checkbox"/> 139(9), <input type="checkbox"/> 142(1), <input type="checkbox"/> 148											
(क18) यदि पुनरीक्षित / त्रुटियुक्त हो तो पावती संख्या और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख (दिन / मास / वर्ष)												
(क19) यदि धारा 139(9)/142(1)/148 या धारा 119(2)(ख) के प्रत्युत्तर में फाइल में किया गया है - यूनिफ संख्या /दस्तावेज पहचान संख्या (डी.आई.एन) तथा ऐसे नोटिस अथवा आदेश की तारीख भरें।												
(क20) क्या आप धारा 115 ख क ग के तहत नई कर व्यवस्था का विकल्प चुन रहे हैं? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं												
(क21) क्या आप आय विवरणी धारा 139(1) के सातवें परन्तुक के अंतर्गत दायर कर रहे हैं अन्यथा आय विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें [नोट: तभी भरा जाए यदि किसी व्यक्ति को धारा 139(1) के अंतर्गत आय विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है परन्तु धारा 139(1) के सातवें परन्तुक में उल्लिखित एक अथवा एक से अधिक शर्तों को पूरा करने के कारण आय विवरणी दायर करना है]												
(क22) क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान एक या अधिक चालू खाते में 1 करोड़ रुपए से अधिक रकम या सकल रकम जमा किया है ? (हां/नहीं)												(यदि हां है तो) रकम (रु)
(क23) क्या आपने स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति की विदेश में यात्रा के लिए 2 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है												(यदि हां है तो) रकम (रु)
(क24) क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान विद्युत के उपभोग के लिए 1 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है? (हां/नहीं)												(यदि हां है तो) रकम (रु)
(क25) क्या आप धारा 139(1) के सातवें परन्तुक के तहत निर्दिष्ट शर्तों के तहत आयकर विवरणी दाखिल कर रहे हैं। किंतु अन्यथा आयकर विवरणी भरने की आवश्यकता नहीं है (हां/नहीं) (यदि हां, तो नीचे प्रस्तुत तालिका से प्रासंगिक शर्त का चयन करें)												(चिन्ह) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं

भाग ख- सकल कुल आय में													केवल संपूर्ण रुपए (रु)
वेतन/पेंशन	ख1	i	सकल वेतन (iक + iख + iग + 1घ + 1ङ)									i	
			क	धारा 17(1) के अनुसार वेतन	iक								
	ख	धारा 17(2) के अनुसार परिलब्धियों का मूल्य	iख										
	ग	धारा 17(3) के अनुसार वेतन के बदले लाभ	iग										
	घ	धारा 89क के तहत अधिसूचित देश में रखे गए सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय	iघ										
		धारा 89क के तहत अधिसूचित देश के अतिरिक्त देश में सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय	iङ										
	ii	धारा 10के अधीन छूट प्राप्त सीमा तक भत्ता (ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए ड्रापडाउन का उपबंध किया जाना है) [सुनिश्चित करें कि इसे धारा 17(1)/17(2)/17(3) के अंतर्गत वेतन आय में शामिल किया गया है]	ii										
	iii	धारा 89 क के तहत करायन से राहत के लिए आय का दावा	iii										
	iii	शुद्ध वेतन (i - ii - iiiक)	iii										
	iv	धारा 16 के अधीन कटौतियां (ivक + ivख + ivग)	iv										
		क	धारा 16(iक) के अधीन मानक कटौती	ivक									
	ख	धारा 16(ii)के अधीन मनोरंजन भत्ता	ivख										
	ग	धारा 16(iii)के अधीन वृत्तिक कर	ivग										
V	वेतन शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (iii - iv)	ख1											



और हस्ताक्षर	<p>विवरणी में दी गई सूचना सही और पूर्ण है तथा यह आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है। मैं, यह और घोषणा करता/करती हूँ कि मैं यह विवरणी ..... (ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए डापडाउन का उपबंध किया जाना है) की क्षमता में तैयार कर रहा/रही हूँ और मैं यह विवरणी तैयार करने और उसका सत्यापन करने के लिए सक्षम हूँ। मेरा स्थायी लेखा संख्यांक ..... है (कृपया अनुदेश देखें)।</p> <p>तारीख: _____ हस्ताक्षर: _____</p>
--------------	---

**यदि विवरणी को कर विवरणी तैयारकर्ता (टीआरपी) द्वारा तैयार किया गया है, तो और ब्यौरे नीचे दें :**

टीआरपी की पहचान सं.	टीआरपी का नाम	टीआरपी के प्रति हस्ताक्षर										
<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> </table>												
यदि टीआरपी सरकार से किसी प्रतिपूर्ति का हकदार है तो उसकी रकम												